

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

1 प्रतिवेदन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य शासन के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय 1 – राज्य शासन के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, राज्य के वित्त लेखे के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियां, राज्य का ऋण प्रबंधन और लोक लेखा के मुख्य लेन-देनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 – वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य शासन के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है।

अध्याय 3 – वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़े वाले 40 परिशिष्ट हैं।

2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 राज्य शासन के वित्त

2018–19 के दौरान राज्य शासन ने अपनी राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, यद्यपि यह उस वर्ष के लिए बजट में लक्षित सीमा को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके स्वयं के कर प्राप्तियों में 13.55 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्यतः माल एवं सेवा कर प्राप्तियों के कारण, के अलावा वर्ष 2018–19 के दौरान करेतर राजस्व में 31.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए ₹1,153.70 करोड़ (कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान) के कुल एकत्रित अंशदान में से राज्य शासन ने केवल ₹1,040.60 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित किया। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पुलिस एवं शिक्षा विभाग के 11 कार्यालयों में वेतन तथा बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की गैर कटौती के प्रकरण परिलक्षित हुए।

2018–19 के दौरान राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर विकास व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, सिवाय स्वास्थ्य (4.48 प्रतिशत) पर व्यय के जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों (5.07 प्रतिशत) से कम था।

राज्य ने सहायतानुदान में से किए गए व्ययों के लेखांकन प्रशोधन के संबंध में भारतीय शासकीय लेखांकन मापदंड (IGAS-2) का गैर अनुपालन जारी रखा जिसके प्रभाव से राजस्व अधिशेष को बढ़ाने के अलावा विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत इसके व्ययों को अशुद्ध दर्शाया गया।

राज्य शासन ने उदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अपने ज्ञापन समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का सम्मान नहीं किया। इसने समेकित निक्षेप निधि भी गठित नहीं किया तथा निधि में ₹861.82 करोड़ का अनिवार्य अंशदान नहीं किया। आगे, प्रत्याभूति मोचन निधि में कम अंशदान किया गया था।

(अध्याय 1)

2.2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2018–19 के दौरान राज्य शासन का बजटीय अनुमान वास्तविक नहीं था तथा बजटीय अनुमान वास्तविकता से काफी भिन्न था तथा बजट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग बिना पर्याप्त औचित्य के प्राप्त किया गया था तथा बड़ी मात्रा में राशि बिना बजट प्रावधान के खर्च की गई थी। विगत कुछ वर्षों से प्रत्येक वर्ष इस प्रकरण को सूचित करने के बावजूद भी राज्य शासन इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

वर्ष के दौरान बचतें बजट की 21 प्रतिशत थी; तथापि नियंत्रण अधिकारियों ने निधियां समय पर समर्पित नहीं की। विभागों को सतत बचतों के विरुद्ध सचेत नहीं किया गया; न ही उनके आवंटनों को अवशोषित करने की उनकी योग्यता के अनुरूप उनके बजट को परिवर्तित किया गया।

प्रकरण को वित्त विभाग को कई बार सूचित करने तथा राज्य शासन के वित्त पर, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद भी राज्य शासन ने पूँजीगत अनुभाग में राजस्व प्राप्तियों एवं व्ययों को गलत वर्गीकृत करना जारी रखा, जिसने राजस्व अधिशेष एवं अन्य राजकोषीय मापदंडों को प्रभावित किया।

(अध्याय 2)

2.3 वित्तीय प्रतिवेदन

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियां’ (₹34,831.64 करोड़) एवं ‘अन्य व्यय’ (₹30,676.59 करोड़) के विवेकहीन संचालन ने वित्तीय सूचना में पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि ₹14,470.62 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा राज्य शासन के खराब नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए अपर्याप्त अंतरिक नियंत्रणों को इंगित करता है।

नियंत्रण अधिकारियों ने अपने लेखा आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा दर्ज आंकड़ों से प्राप्तियों के संबंध में केवल 13.94 प्रतिशत एवं व्यय के संबंध में केवल 48.99 प्रतिशत की सीमा तक ही किया है। लेखा प्रतिपादन ईकाईयों/प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के गैर-मिलान ने राज्य के लेखाओं की शुद्धता एवं पूर्णता और प्रभावी बजटीय प्रबंधन को प्रभावित किया।

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने बैंक खातों में ₹1,777.75 करोड़ की राशि अवरुद्ध की थी। आगे, मण्डल उपलब्ध निधियों का मात्र 15 प्रतिशत ही उपयोग कर सका तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों की केवल 30 प्रतिशत कल्याण गतिविधियों को पूरा किया।

विभिन्न जिलों के जिलाधीशों द्वारा वित्त विभाग के प्राधिकार के बिना बैंक खातों में राशि ₹13.78 करोड़ अवरुद्ध की गई थी।

विभिन्न व्यक्तिगत जमा खाते वृहत शेषों सहित तीन वर्षों से अधिक से असंचालित पड़े थे। शासन को इन खातों की निकटता से निगरानी करनी चाहिए थी तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसे असंचालित खाते बंद हैं तथा शेषों को राज्य की कोषालय संहिता के अनुसार शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

(अध्याय 3)

